



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 10, शुक्रवार, शाके 1945-मार्च 31, 2023
Chaitra 10, Friday, Saka 1945- March 31, 2023

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 31, 2023

संख्या प.2(22)विधि/2/2023.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 मार्च, 2023 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 6)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 मार्च, 2023 को प्राप्त हुई)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2023 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 4 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 59 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा

गया है, की धारा 59 के खण्ड (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति "दो मास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "छह मास" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में विद्यमान अनुच्छेद 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 33. पट्टा- जिसके अंतर्गत अवर पट्टा या उपपट्टा तथा पट्टे या उपपट्टे पर देने के लिए कोई करार या इनका कोई भी नवीकरण है,- खण्ड (i) से (vi) में उल्लिखित लिखतों की दशा में सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर निम्नलिखित कारकों को पट्टे की कालावधि पर लागू करने से अभिप्राप्त टेलीस्कोपिक दर पर, अर्थात्:-

जहां ऐसा पट्टा-

- | | |
|---|---|
| (i) एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है | 0.02; |
| (ii) एक वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है | 0.12; |
| (iii) पांच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है | 0.9; |
| (iv) दस वर्ष से अधिक किन्तु पन्द्रह वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है | 2; |
| (v) पन्द्रह वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है | 5; |
| (vi) बीस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है | 8; |
| (vii) तीस वर्ष से अधिक की कालावधि या शाश्वतता के लिए तात्पर्यित है, या किसी निश्चित कालावधि के लिए तात्पर्यित नहीं है | वही शुल्क जो हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर लगता है: |

परन्तु किसी भी मामले में जब पट्टा करने का करार पट्टे के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया गया है, ऐसे पट्टे पर शुल्क सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

छूट.- खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए निष्पादित पट्टा (जिसके अन्तर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का पट्टा है)।

स्पष्टीकरण.- पट्टे की कालावधि अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक वर्ष से कम की कोई कालावधि अगले एक वर्ष में पूर्णांकित की जायेगी।

दृष्टांत.-

1. पांच वर्ष के पट्टे पर लागू स्टाम्प शुल्क की दर अभिप्राप्त करना:-

$$\frac{[(1 \times 0.02) + (4 \times 0.12)]}{5} = \frac{0.5}{5} = 0.1$$

2. पन्द्रह वर्ष और पांच मास के पट्टे पर लागू स्टाम्प शुल्क की दर अभिप्राप्त करना:-

$$\frac{[(1 \times 0.02) + (4 \times 0.12) + (5 \times 0.9) + (5 \times 2) + (1 \times 5)]}{16} = \frac{20}{16} = 1.25$$

3. पच्चीस वर्ष के पट्टे पर लागू स्टाम्प शुल्क की दर अभिप्राप्त करना:-

$$\frac{[(1 \times 0.02) + (4 \times 0.12) + (5 \times 0.9) + (5 \times 2) + (5 \times 5) + (5 \times 8)]}{25} = \frac{80}{25} = 3.2 \text{ ।"।}$$

जान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 30, 2023

No. F. 2(22)Vidhi/2/2023.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Vitt Adhiniyam, 2023 (2023 Ka Adhiniyam Sankhyank 6):-

**(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2023
(Act No. 6 of 2023)**

(Received the assent of the Governor on the 30th day of March, 2023)

An

Act

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998 in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2023-24.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2023.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clause 4 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

3. Amendment of section 59, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In clause (i) of section 59 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing expression "two months", the expression "six months" shall be substituted.

4. Amendment of Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act, for the existing Article 33, the following shall be substituted, namely:-

<p>" 33. Lease- Including an under lease or sub-lease and any agreement to let or sub-let or any renewal thereof,-</p>	<p>In case of instruments mentioned in clauses (i) to (vi) on the market value of the property at the telescopic rate obtained by applying the following factors on the period of lease, namely:-</p>
<p>Where such lease purports to be-</p>	
<p>(i) for a period not exceeding one year</p>	<p>0.02;</p>
<p>(ii) for a period exceeding one year but not exceeding five years</p>	<p>0.12;</p>
<p>(iii) for a period exceeding five years but not exceeding ten years</p>	<p>0.9;</p>
<p>(iv) for a period exceeding ten years but not exceeding fifteen years</p>	<p>2;</p>
<p>(v) for a period exceeding fifteen years but not exceeding twenty years</p>	<p>5;</p>
<p>(vi) for a period exceeding twenty years but not exceeding thirty years</p>	<p>8;</p>
<p>(vii) for a period exceeding thirty years or in perpetuity, or which does not purport for any definite period</p>	<p>The same duty as on a conveyance (No.21) on the market value of the property:</p>

Provided that in any case when an agreement to lease is stamped with the stamp required for a lease, and

a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such lease shall not exceed hundred rupees.

Exemption.- Lease executed in the case of cultivator and for purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink).

Explanation.- For the purpose of determining the period of a lease any period less than one year shall be rounded off to the next one year.

Illustrations.-

1. Obtaining the rate of stamp duty applicable on the lease of 5 years:-

$$\frac{[(1 \times 0.02) + (4 \times 0.12)]}{5} = \frac{0.5}{5} = 0.1$$

2. Obtaining the rate of stamp duty applicable on the lease of 15 years and 5 months:-

$$\frac{[(1 \times 0.02) + (4 \times 0.12) + (5 \times 0.9) + (5 \times 2) + (1 \times 5)]}{16} = \frac{20}{16} = 1.25$$

3. Obtaining the rate of stamp duty applicable on the lease of 25 years:-

$$\frac{[(1 \times 0.02) + (4 \times 0.12) + (5 \times 0.9) + (5 \times 2) + (5 \times 5) + (5 \times 8)]}{25} = \frac{80}{25} = 3.2.$$

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।